

रामचन्द्र बनाम मस्तराम आदि
प्रकरण संख्या 34/2024 अन्तर्गत धारा 251क आरटीएक्ट

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामिल में
जारी हुये

22-01-2025

पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकैन उपस्थित। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि तरतीबी अप्रार्थीगण के खिलाफ कोई अनुतोष नहीं है इसलिये उनकी तल्बी बंद की जावे। जिस पर तरतीबी अप्रार्थीगण की तल्बी बन्द की गई। वकुलाए फरिकैन की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि प्रार्थी को अपने खेत में आवागमन हेतु कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 की आपसी सहमति से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। अतः प्रार्थी व अप्रार्थी की आपसी सहमति व तहसीलदार की रिपोर्ट आदि के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि चक 25 आरडब्ल्यूडी के प.नं. 228/422(2) कि.नं. 1 में उत्तरी पश्चिमी कोना 15 गुणा 15 फुट यानि 0.0020 है. भूमि को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार को पत्र जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
सुपरण्ड अधिकारी
रायचूर

